

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

क. / स्टोर / 2019/162

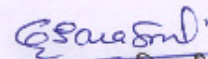
दिनांक 31.08.2019

नगर निगम कोरबा द्वारा सोसायटी अधिनियम 1960 का (21) या अन्य के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में पंजीकृत संस्था से नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत एनीमल कंट्रोल बोर्ड आवारा कुत्तों के बंधियाकरण हेतु (Online)आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.लाख में)	निविदा डालने की अंतिम तिथि
1	कोरबा नगर निगम में आवास कुत्तों का बंधियाकरण एवं टीकाकरण कार्य	0.00	23.09.2019 (T.No. 55526)

उपरोक्त कार्यों की निविदा की जानकारी ई-प्रोक्यूरमेंट वेब पोर्टल <http://eproc.cgstate.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है, साथ ही निगम के वेब साइट www.korbamunicipal.in पर भी देखी जा सकती है।

।।स्वच्छ भारत निर्माण में योगदान दें।।


स्वस्थ अधिकारी

नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

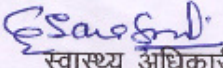
कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

आवारा कुत्तो पर नियंत्रण हेतु बंधियाकरण/टीकाकरण की नियम-शर्त :-

नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत आवारा कुत्तो के नियंत्रण हेतु टीकाकरण/बंध्याकरण प्रोग्राम संचालन हेतु संबंधित कार्य के अनुभवी निविदाकारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा द्वि लिफाफा प्रक्रिया (तकनीक प्रस्ताव नं.-02 होगी। जिसमें पहले तकनीकी प्रस्ताव लिफाफे खोले जावेंगे एवं इसमें सफल निविदादाताओं के ही प्रस्तुत द्वितीय वित्तीय लिफाफे खोले जावेंगे।

1. निविदाओं दो लिफाफा में जिसमें प्रथम लिफाफे A में तकनीकी दस्तावेज तथा द्वितीय लिफाफे B में वित्तीय प्रस्ताव देना होगा।
2. प्रथम लिफाफा A में तकनीकी दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त पात्र पाये जाने पर ही द्वितीय लिफाफा B खोला जाएगा।
3. निविदाकार द्वारा आवारा कुत्तों को चिह्नित कर पकड़ने का कार्य भारत सरकार के राजपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के तहत करना होगा तथा बंधियाकरण का कार्य नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निर्धारित स्थान पर करना होगा।
4. कोरबा नगर पालिक निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवारा कुत्तो का बंधियाकरण पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से योग्यताधारी पशु शल्य चिकित्सक द्वारा कराना होगा।
5. ऑपरेशन केन्द्र में आवारा कुत्तो का रख रखाव ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात् भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन Extra ordinary '1923 दिनांक 24.12.2001 में दी गई व्यवस्था अनुसार रखना होगा।
6. आवारा कुत्तो के बंधियाकरण में प्रयुक्त उपकरण व औषधियों का व्यय निविदाकार को करना होगा।
7. ऑपरेशन केन्द्र में रखे जा रहे आवारा कुत्तो के भोजन एवं औषधियों का व्यय निविदाकार को करना होगा।
8. निविदाकार को ऑपरेशन केन्द्र में स्थापित आवारा कुत्तो प्रबंधन एवं नियंत्रण पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुशंसित अन्य स्वायत्तशासी, संस्थाओं, ग्राम पंचायतों इत्यादि को श्वान प्रबंधन एवं नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे।
9. वर्तमान में ऑपरेशन केन्द्रों में स्थापित उपकरणों, भवन, पानी के बोरिंग, बिजली इत्यादि की रख रखाव व उस पर होने वाले व्यय निविदाकार को करना होगा।
10. ऑपरेशन केन्द्र संचालन में नियुक्त सभी स्टाफ का प्रबंधन निविदाकार को करना होगा व उस पर होने वाला व्यय भी संवेदक को करना होगा।
11. निविदाकार द्वारा जिन कुत्तों का बंधियाकरण की कार्यवाही करेगा यदि किसी पालतु कुत्तो का बंधियाकरण निविदाकार द्वारा किया जाता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. निविदाकार द्वारा आवारा कुत्तो का बंधियाकरण निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी/पर्यवेक्षक के समक्ष किया जाएगा जिसकी एक पंजी संधारित की जावेगी जिसमें आवारा कुत्तो के संबंध में विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त रजिस्टर का सत्यापन संबंधित अधिकृत अधिकारी /पर्यवेक्षक से कराया जावेगा।
13. सत्यापित रजिस्टर के अनुसार देयक का भुगतान किया जावेगा।
14. निविदाकार द्वारा जिन कुत्तों का बंधियाकरण की कार्यवाही करेगा उनको चिह्नित कर उसी स्थान पर छोड़ेगा जहाँ से उन्हें पकड़ा गया हो।

15. द्वितीय पक्ष द्वारा कुत्तों का बंधियाकरण की विडियो ग्राफी करनी होगी।
16. ऑपरेशन केन्द्र में बंधियाकरण हेतु शहर से कुत्तो पकड़वाने का कार्य बिना किसी प्रकार की क्रूरता के निविदाकार को करना होगा।
17. आवारा कुत्तो पकड़ने में प्रयुक्त वाहन व स्टॉफ की व्यवस्था व उस पर होने वाले व्यय निविदाकार को करना होगा।
18. कुत्ता पकड़ने एवं छोड़ते समय आवारा कुत्ता नियंत्रण हेतु जारी राजपत्र में दी गई व्यवस्था का पालन करना होगा।
19. पकड़े गये कुत्तो एवं बंधियाकरण किये गये कुत्तों का सांख्यिकीय ब्यौरा क्षेत्रवार एवं वर्षवार निविदाकार को रखना होगा।
20. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक द्वारा रिकार्ड मांगने पर उपलब्ध करवाना होगा।
21. बंधियाकरण किये गये कुत्तो के अण्डकोष एवं अण्डाशय को भौतिक सत्यापन हेतु रखना होगा। कार्य का भौतिक सत्यापन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
22. Rabbies vaccination करना अनिवार्य है।
23. श्वान केन्द्र संचालन हेतु अनुभवी फर्म को प्राथमिकाता दी जावेगी।
24. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001 का पूर्णरूप से पालन करना अनिवार्य होगा।


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)